न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 32/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/78

प्रार्थीयागण — अप्रार्थीगण

1 गुलाबकंवर पत्नी दुर्जनसिंह वगैरह — उदयसिंह पुत्र मंगलसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 13.06.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश भादु उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 5, 6 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भड़कुआ, पटवार हल्का हरियाल में नवीन खसरा नंबर 149 रकबा 0.01 हैक्टेयर गेर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 150 रकबा 4.31 हैक्टेयर चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नंबर 151/210 रकबा 0.34 हैक्टेयर बारानी दोयम, खसरा नंबर 153/211 रकबा 0.19 हैक्टेयर बारानी दोयम, खसरा नंबर 169 रकबा 1.37 हैक्टेयर चाही दोयम, खसरा नंबर 169/203 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 270/169 रकबा 0.6140 हैक्टेयर जाव दोयम व खसरा नंबर 169/208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर जाव दोयम की आई हुई है मगर द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नंबर 169/208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम जो हम प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्त का होने के बावजदू विधि विरूद्व ढंग से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर उक्त खसरा नंबर 169/208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर भूमि पर हम प्रार्थीयागण का वर्षो से सहज व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 169/208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर जाव दोयम भूमि हम प्रार्थीयागण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होने के बावजूद द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने हमारी खातेदारी में से कम कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर हम प्रार्थीयागण का मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग है एव हम प्रार्थीयागण खेतीबाड़ी करते आ रहे है तथा नक्शा ट्रैश में भी उक्त भूमि को हमारे खातेदारी के साथ दर्शाया गया है। ऐसी सूरत में उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 169/208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानूनियन अधिकारीणी होने से दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीयागण विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वे वांके सरहद मौजा भड़कुआ, पटवार हल्का हरियाली में स्थित आराजी नवीन खसरा संख्या 169 / 208 रकबा 0.2770 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम में हम प्रार्थीयागण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयागण ने आधारहीन बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर हकीकत तथ्यों को छिपाकर आधारहीन प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भड़कुआ पटवार हल्का हरियाली में स्थित खातेदारी खेत खसरा नंबर 169 / 208 रकबा 0.2270 भूमि में प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण नहीं करें तथा विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner